प्रकरण संख्या 1/2020 प्रभूलाल व अन्य बनाम खेमजी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 व 2 रिश्ते में पति पत्नी हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 13 वादी के परिवार के सदस्य होकर ग्राम रंगेला में निवास करते हैं। वादी कई वर्षो से अपने परिवार के जीवन–यापन हेतु गुजरात में रहकर काम धन्धा करता है तथा ग्राम रंगेला आता–जाता रहता है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष जेता कटारा थे, जिसके 4 पुत्र फुला, खातरा, कुबेरा व जीवा हुए। वादी खेमजी जीवा का पुत्र है। वादी के भाई खातरा ने दिनांक 09.09.1964 को वादी की जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर वादी के खाते की आराजी नंबर 76, 211 से 218, 342 व 672 कुल किता 11 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा विक्रय कर दिया, जबकि उस वक्त वादी अवयस्क था। उक्त भूमि खातरा की मृत्यु होने पर उसे वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के नाम दर्ज हो गयी। वादी ने प्रतिवादीगण के पिता खातरा को कभी भी जमीन नहीं बेची इसलिए विक्रय पत्र दिनांक 09.09.1964 से पाबन्द नहीं है तथा उक्त विक्रय वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है। अतः निवदेन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी नंबर 76, 211 से 218, 342 व 672 कुल किता 11 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 का नाम चालू जमाबन्दी से हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा विक्रय पत्र दिनांक 09.09.1964 शून्य घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 5 तनकियात कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 17.09.2019 को वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 1[illegible].2020 को प्रस्तुत की गयी है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:45 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री शैलेष भण्डारी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 11.12.2019 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में शुमार की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस के दौरान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना नहीं कर वादीगण के वाद को स्वीकार करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.09.2019 में अंकित है कि ''प्रतिवादीगण एवं अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी के जवाब का अवसर बन्द किया जाता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रतिवादीगण की साक्ष्य की अवसर बन्द की जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं सबूत प्रथम दृष्टया वादी के हक में प्रतीत होने वाद वादी स्वीकार किया जाता है।'' उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए वाद डिक्री किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2021.02.05 11:51:45 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद को साबित कराया है। वादी पी.डब्ल्यू. 1 से वकील

प्रतिवादी द्वारा जिरह की गयी है तथा शेष गवाह के जिरह हेतु प्रतिवादीगण को कई अवसर प्रदान करने के बाद भी जिरह नहीं किये जाने से उनकी जिरह का अवसर समाप्त किया गया है तथा प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने के कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण साक्ष्य बन्द की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए वाद डिक्री किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 रजिस्टर्ड बैयनामा है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस रजिस्टर्ड बैयनामे को मात्र वादीगण के कथनों के आधार पर उसे संदेहास्पद माना है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। हम यह भी पाते हैं अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 17.09.2019 को प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत था, किन्तु प्रतिवादीगण को जवाब का अवसर दिये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर वादीगण का वाद एकपक्षीय डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 33/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.09.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर एवं उन्हें सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.11.2023 को उपस्थिरत रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:45 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबंध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर